जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2021/डी– 394   दिनांकः– 12-4-2021

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **159वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 को प्रातः 10.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	–	159:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 158वीं बैठक दि. 10.03.21 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लंबित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 158वीं बैठक दिनांक 10.03.2021 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में तीन दिवस में पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	12	159:2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रशासनिक एवं शैक्षणिक उपयोग करने हेतु ग्राम दहमीकलां तह.सांगानेर में जविप्रा की संस्थानिक योजना के भू.सं.–8 क्षेत्रफल 100482.70 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रशासनिक एवं शैक्षणिक उपयोग करने हेतु ग्राम दहमीकलां तह.सांगानेर में जविप्रा की संस्थानिक योजना के भू.सं.–8 क्षेत्रफल 100482.70 व.मी. भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया । संस्था द्वारा निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है। निःशुल्क आवंटन का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
3	13	159:3	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को ग्राम–फाल्यावास, तहसील– बस्सी के खसरा नम्बर 13/1 रकबा 202343 व.मी (50 एकड़) भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने एवं ग्राम–चेतावाला, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर 599 रकबा 19.61 हैक्ट. रकबा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 534 रकबा 4.72 हैक्ट. में से 4.26 हैक्ट. किता–2 रकबा 23.87 हैक्ट. (ग्राम पंचायत खोराश्यामदास) को भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा राज्य सरकार के पत्रांक–5226 दिनांक 14.10.2020 एवं जिला कलक्टर जयपुर के पत्रांक–3186 दिनांक 17.08.2020 के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि– 1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को पूर्व में ग्राम–फाल्यावास, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 13/1 रकबा 202343 व.मी (50 एकड़) भूमि निःशुल्क आवंटित की गई थी, उक्त भूमि को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करेंगे। 2. ग्राम पंचायत खोराश्यामदास स्वयं की स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1711, 1712, 1713, 1714 किता–04 रकबा 23.87 हेक्टेयर जयपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित करें जिसके विनिमय में जविप्रा अपनी स्वामित्व की ग्राम चेतावाला तहसील आमेर की भूमि खसरा नंबर 599, रकबा 19.61 हेक्टेयर एवं ख.नं. 534 रकबा 4.72 हेक्टेयर में से 4.26 हेक्टैयर किता–02 रकबा 23.87 हेक्टेयर ग्राम पंचायत खोराश्यामदास को दे देगा। 3. ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी की भूमि खसरा नम्बर 13/1 रकबा 202343 व.मी (50 एकड़) का आवंटन निरस्त कर ग्राम खोराश्यामदास की भूमि खसरा नंबर 1711, 1712, 1713, 1714 किता–04 रकबा 23.87 हेक्टेयर जविप्रा में निहित होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को आवश्यकतानुसार भूमि के आवंटन की कार्यवाही करेगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
4	13	159:4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को जयपुर में राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना हेतु ज.वि.प्रा. की नॉलेज सिटी नॉर्थ, चौंप योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 2.45 हेक्टेयर में से 10000 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को जयपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की स्थापना हेतु ज.वि.प्रा. की नॉलेज सिटी नॉर्थ, चौंप योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 2.45 हेक्ट. में से 10000 व.मी. भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश कमांक–प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5	13	159:5	जविप्रा की अनुमोदित आवासीय योजना बढ़ारना के सुविधा क्षेत्र भूखण्ड क्षेत्रफल 7107.11 व.मी. में से 1200 व. मी. भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की अनुमोदित आवासीय योजना बढ़ारना के सुविधा क्षेत्र भूखण्ड क्षेत्रफल 7107.11 व.मी. में से 1200 व.मी. भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश कमांक–प.3(55)नविवि/ 3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
6	PRN N-I	159:6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–5 की भूमि में भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पृथ्वीराज नगर उत्तरी क्षेत्र (अजमेर रोड से सीकर रोड) एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर पाईप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना में प्रस्तावित आई.पी.एम./पम्पिंग स्टेशन/सी.डब्ल्यू.आर. /ई.एस.आर. के निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र भूखण्ड एफ–5 क्षेत्रफल 2524.62 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। संस्था द्वारा निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है। निःशुल्क आवंटन का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः राज्य सरकार के आदेश कमांक–प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ॰ गिरीश पाराशर)
अति॰ सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 159वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा	सचिव	सदस्य	
3.	श्री वी.सी. बुनकर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री वी.एस. सुंडा	अभियांत्रिकी–II	सदस्य	
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री डॉ॰ गिरीश पाराशर	अति॰ आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	
8.	श्री अवधेश सिंह	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति॰ निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री लोकेश कुमार गौतम	उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री रामरत्न शर्मा	उपायुक्त पीआरएन उत्तर–प्रथम	विशेष आमंत्रित	
15.	O. P. Pareek	ACTP (DP)		
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }